न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 81/2025 | **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/162**
दायर दिनांक :– 08.04.2025 | **निर्णय दिनांक :– 21.11.2025**

1. अशोक कुमार पुत्र जीवणराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
2. जीवणराम पुत्र मेकाराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
3. बगडूराम पुत्र मेकाराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
4. मांगीलाल पुत्र जीवणराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
5. रामस्वरूप पुत्र जीवणराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम्

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:–1.श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:निर्णय:–

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि ग्राम खिदरत पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलौदी में प्रार्थीगण की खातेदारी की काश्त भूमि खसरा नम्बर 467 रकबा 4.0388 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है और प्रार्थीगण अपने परिवार सहित बारह मास निवास करता आ रहा है नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण उक्त खातेदारी अधिकारों के चिपती सरकारी भूमि खसरा नम्बर 463 रकबा 5.2204 हैक्टेयर, भूमि ग्राम खिदरत पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलौदी में आई हुई है जिसके चिपते ही कटाण मार्ग स्थित हैं। प्रमाणित जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 467 रकबा 4.0388 हैक्टेयर की भूमि एवं उसमें बनी रहवासीय ढाणी में आने जाने हेतु अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 463 रकबा 5.2204 हैक्टेयर भूमि में से आना जाना पड़ता हैं। प्रार्थीगण को आने जाने हेतु उक्त रास्ते के आलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में अप्रार्थी की भूमि में से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग लिया जा रहा था लेकिन अब वर्तमान में अप्रार्थी के प्रतिनिधि ने पूर्व में उपयोग लिये जा रहे रास्ते को बंद कर दिया है। वर्तमान में प्रार्थीगण को अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ते का विकल्प उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी की भूमि

Satya..
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

के चिपते कटाण मार्ग जो ग्राम खिरदत से ग्राम मालमसिंह की सिड तक चलता है वहा तक पहुंच हेतु प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र नये रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली में बहस सुनी गई।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया गया –

1. रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता।
2. वैकल्पिक रास्ता मौजूद है अथवा नहीं।
3. नया मार्ग लघुतम रूट है या नहीं।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में संलग्न जमाबंदी, नजरी नक्शा, तहसीलदार बाप की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 3 में स्पष्ट उल्लेख किया किया है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 467 की भूमि में पहुंच हेतु आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता दो स्थानों पर उपलब्ध है। खसरा नम्बर 463 में से रास्ता भिन्न नजरी नक्शे अनुसार चालू है व रास्ते पर ग्रेवल कंक्रीट डाले हुवे है तथा वर्तमान आवागमन हेतु उपयोग में ली जा रही है। मौके पर चालू रास्ता प्रार्थी की भूमि के चिपता है जो डामर सड़क तक जाता है। प्रार्थी की भूमि के चिपता वैकल्पित रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होना प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तीनों बिन्दुओं का विवेचन करने के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya...

(सत्य नारायण–I आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)